

जिला सामाजिक आर्थिक पुनरीक्षण
जिला रोहतक

2010-2011



प्रस्तुत कर्ता :-
जिला सांख्यिकीय अधिकारी
योजना विभाग हरियाणा
रोहतक ।

निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

आमुख

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है। जिसमें समस्त हरियाणा व देश से सम्बन्धित आर्थिक एवं सांख्यिकीय आंकड़ों का विस्तृत विवरण व विश्लेषण उपलब्ध होता है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जिले की "सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निरीक्षण रिपोर्ट", "जिला सांख्यिकीय सारांश" व "नगर पालिका पुस्तिका" तथा जिले के "आधार भूत आंकड़ों" का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

जिला सामाजिक एवं आर्थिक पुनरीक्षण 2010-2011 के प्रकाशन का उद्देश्य जिला रोहतक में वर्ष 2010-11 के दौरान हुए सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की विवेचना करना तथा वर्ष के दौरान सम्पन्न हुए विकास कार्यों बारे जानकारी उपलब्ध कराना है। इसमें जिला से सम्बन्धित विभिन्न विषयों विशेषकर क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, सिंचाई, वन, पशुपालन, विद्युत, उद्योग, सड़क तथा परिवहन, संचार, श्रम तथा रोजगार, सहकारिता, बैंक, शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण इत्यादि के अतिरिक्त बहुत से विविध विषयों पर सूचना के साथ-साथ जनगणना 2001 अनुसार जनसंख्या की सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत प्रकाशन विभिन्न विभागों, अनुसंधान कर्ताओं और उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, जिनकी जिला रोहतक की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के अध्ययन व उनसे जुड़े अन्य पहलुओं में रुचि है।

मैं जिला रोहतक के विभिन्न कार्यालय अध्यक्षों, जिन्होंने इस प्रकाशन के लिए समय पर सूचना उपलब्ध कराने में सहयोग दिया, के लिए आभारी हूँ। उनके सहयोग के बिना इस प्रकाशन को जारी कर पाना सम्भव नहीं था।

अन्त में मैं श्री जय सिंह सिंह, सहायक जिला सांख्यिकीय अधिकारी, जिन्होंने इस प्रकाशन को समय पर संकलित करने तथा प्रकाशित करने के लिए अहम योगदान दिया, का आभार प्रकट करता हूँ।

तिथि :- नवम्बर, 2011

जयपाल शर्मा
जिला सांख्यिकीय अधिकारी,
रोहतक।

(i)
विषय सूचि

	विषय	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-1	सामाजिक आर्थिक पुनरीक्षण –जिला रोहतक	1-2
परिशिष्ट-2	स्थिति तथा भौतिक विशेषताएँ	
1.	स्थिति तथा भौतिक विशेषताएँ स्थिति क्षेत्रफल तथा प्रशासनिक ढांचा भौतिक विशेषतायें खनिज सम्पदा नदियां जलवायु तथा वर्षा मिट्टी भू-जल विज्ञान	3-4
2.	जनसंख्या जनगणना के आंकड़ें घनत्व ग्रामीण व शहरी जनसंख्या 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या मलिन बस्तियों की जनसंख्या लिंगानुपात 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात मलिन बस्तियों में लिंगानुपात साक्षरता- ग्रामीण व शहरी मलिन बस्तियों में साक्षरता	4-7
3.	वन वनों के अधीन क्षेत्रफल	7
4.	कृषि भूमि का प्रयोग कृषि जोतें मुख्य फसलों का उत्पादन अधिक उपजाऊ किस्में रासायनिक खाद का वितरण पौधों की सुरक्षा के उपाय कृषि यन्त्र तथा उपकरण कृषि उपज बिक्री संग्रहण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7-10

	विषय	पृष्ठ संख्या
5.	भूमि विकास कार्यक्रम सिंचाई सिंचाई के साधन फसल अनुसार सिंचित क्षेत्र सिंचाई की घनता नलकूप / पम्पिंग सैट बाढ़	10-11
6.	पशुपालन तथा डेरी पशुधन पशु चिकित्सालय सेवायें डेरी ' दुग्ध उत्पादन '	11
7.	मछली पालन	12
8.	विद्युत विद्युतिकरण ' शहरी/गांव ' नलकूप विभिन्न परियोजनाओं में विद्युत का उपयोग	12
9.	खनिज पदार्थ तथा उद्योग खनिज उत्पादन लघु उद्योग यूनिट बड़े तथा मध्यम स्तरीय उद्योग यूनिट	12-13
10.	सड़क तथा परिवहन सड़कों की लम्बाई हरियाणा राज्य परिवहन रेलवे सुविधाएं सड़क दुर्घटनायें	13
11.	संचार डाकघर व तारघर दूरभाष केन्द्र	14
12.	श्रम तथा रोजगार औद्योगिक झगड़े रोजगार केन्द्र मजदूरी की औसत दैनिक आय	14
13.	सहकारिता	15
14.	बैंक	16

(iii)

	विषय	पृष्ठ संख्या
15.	शिक्षा विद्यालय तथा महाविद्यालय अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम इन्जिनियरिंग कालेज विश्वविद्यालय	16-17
16.	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाएं परिवार कल्याण प्रोग्राम सुरक्षित पेयजल	17-18
17.	कल्याण विभाग 'अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग '	18-19
18.	विविध नगरपालिकाएं राजस्व रजिस्ट्रीकरण पुलिस तथा अपराध हरियाणा सरकार के कर्मचारी मनोरंजन टेलिविजन सैट बचत विकेन्द्रीकरण योजना खेलकूद आवास गृहों का निर्माण वृद्धावस्था एवं अन्य पेंशन योजना	19-21
परिशिष्ट-3	जिला एक दृष्टि में	22

परिशिष्ट -1

जिला सामाजिक आर्थिक पुनरीक्षण, जिला रोहतक

रोहतक जिले का निर्माण प्रारम्भ में वर्ष 1824 में हुआ था, पर वर्तमान स्वरूप काफी परिवर्तनों के बाद वर्ष 1912 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। वर्ष 1841 में एक बार जिले के स्वरूप को छिन्न - भिन्न करके वर्ष 1842 में पुनः स्थापित किया गया। वर्ष 1884 तक रोहतक जिला, हिसार डिवीजन का भाग था। हिसार डिवीजन 1884 में तोड़ दिया गया तथा दिल्ली डिवीजन के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया और 1912 में दिल्ली क्षेत्र अलग होने के समय जिले को अम्बाला डिवीजन में मिला दिया गया। वर्ष अक्टूबर, 1989 में रोहतक डिवीजन बनाया गया। अब यह जिला रोहतक डिवीजन में है।

1. 22 दिसम्बर, 1972 में इस जिले का विभाजन करके सोनीपत जिले का निर्माण किया गया और 15 जुलाई 1997 को इस जिले का पुनः विभाजन करके झज्जर जिले का निर्माण किये जाने के उपरान्त इस समय 2 उपमण्डल 2 तहसील तथा 5 विकास खण्ड हैं तथा 2011 की जनगणना के अनुसार 144 गाँव हैं। राजस्व रिकार्ड के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 1668वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 3.77 प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1058683 है। इसमें 566708 पुरुष तथा 491975 स्त्रियाँ हैं। जिले का लिंग अनुपात 868 है जबकि राज्य का 940 है। जिले में साक्षरता दर 80.37 प्रतिशत है, जबकि राज्य की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है।

2. जिला रोहतक की जलवायु अत्यन्त शुष्क है गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में सर्दी अधिक होती है। वर्ष 2010-2011 में 136.07 मि० मी० औसत वर्षा हुई थी। मई तथा जून अधिकतर गर्मियों के मास व दिसम्बर तथा जनवरी सर्दियों के मास होते हैं।

3. वर्ष 2010-2011 में गाँव के प्रपत्रों के अनुसार कुल क्षेत्रफल 1668 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 3.77 प्रतिशत है। वर्ष 2010-2011 में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 140800 हैक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का 84.41 प्रतिशत है। निविल बोया गया क्षेत्र 128500 हैक्टेयर है जो कृषि योग्य भूमि का 91.26 प्रतिशत है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 10300 हैक्टेयर है जो निविल बोये गए क्षेत्र का 78.83 प्रतिशत है। इस प्रकार 2010-2011 में कुल बोया गया क्षेत्र 229800 हैक्टेयर है। कुल बोये गए क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों के अन्तर्गत 78.78 प्रतिशत, नकदी फसलों जैसे गन्ना, तेल बीज, कपास के अधीन 11.74 प्रतिशत क्षेत्र है। शेष 9.48 प्रतिशत अन्य फसलों के अधीन रहा। गेहूँ के अधीन 44.26 प्रतिशत क्षेत्र है, जो सबसे अधिक है।

4. जिले में 3 मण्डियां तथा 4 सबयार्ड हैं इन मण्डियों में मुख्य आमद गेहूँ, ज्वार, चावल, बाजरा आदि की हैं। जिले में अनाज संग्रहण करने के लिए सरकारी गोदाम काफी संख्या में उपलब्ध हैं।

5. वर्ष 2010-2011 में नहरे ही सिंचाई का मुख्य साधन रही जिनसे निविल सिंचित क्षेत्र का 82.97 प्रतिशत क्षेत्र सींचा गया। शेष 17.03 प्रतिशत नलकूपों तथा पम्पिंग सैटों द्वारा सिंचित किया गया। वर्ष 2010-2011 में नलकूप तथा पैम्पिंग सैटों की संख्या 30873 थी। सिंचाई की क्षमता का मुख्य भाग गेहूँ, धान तथा ज्वार की फसलों में प्रयोग किया जाता है। वर्ष के दौरान 344 पैम्प शैट चालू किये गये। 8712 कनेक्शन की माँगे हुई, जिसमें से 6213 प्रदान किये गए।
6. जिला रोहतक के सभी गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा सभी गाँव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। वर्ष दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 72.76 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण सुदृडीकरण किया गया।
7. जिला रोहतक चिकित्सा सेवाओं की दृष्टि से राज्य के अन्य जिलों से अग्रणी है। राज्य का पी० जी० आई० एम० एस० रोहतक में ही स्थित है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं अनेकों ऐजेंसियों द्वारा भी जुटाई जाती रही हैं। जिले में 1 पी० जी० आई० एम० एस०, 7 हस्पताल, 12 डिस्पेंसरियां, 113 सब सैन्टर, 1 क्षय रोग हस्पताल तथा 21 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं।
8. सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां रोहतक के अनुसार वर्ष 2010-11 में सभी प्रकार की 651 सहकारी समितियां हैं, जिनकी सदस्यता 187122 है। जिसके अनुसार प्रति लाख व्यक्तियों के पीछे 287 समितियां कार्यरत हैं।
9. वर्ष 2010-2011 में जिला रोहतक में 81 प्राथमिक पूर्व प्राथमिक बालबाड़ी सहित, 100 माध्यमिक तथा 324 उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे। प्राथमिक विद्यालयों में 94343 छात्र तथा 63608 छात्र माध्यमिक, तथा 40214 छात्र उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इनमें से 40966 छात्र अनुसूचित जाति के थे। उपरोक्त स्कूलों में 6924 अध्यापक कार्यरत रहे। जिले में 29 विद्यार्थी प्रति अध्यापक का अनुपात रहा।
10. इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-2011 में जिला रोहतक में 77 महाविद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहे थे जिनमें कुल 38498 विद्यार्थी डिग्री स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जिनमें से 3923 विद्यार्थी अनुसूचित जाति के थे।
11. जिले में विश्वविद्यालय तथा पी० जी० आई० एम० एस० होने के कारण यह जिला अन्य जिलों की अपेक्षा शिक्षा क्षेत्र में अग्रणीय है। इस जिले में 8 इंजिनियरिंग, 9 चिकित्सा, 14 शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, 4 जे० बी० टी० प्रशिक्षण संस्थान के साथ-साथ 9 राजकीय औद्योगिक एवं वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान भी हैं, जिनमें विभिन्न पाठ्यक्रमों पर शिक्षा प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट -2

स्थिति तथा भौतिक विशेषताएं

1. स्थिति

जिले की भौगोलिक स्थिति 28''-38'-54'' उत्तर से 29''-03'-36'' उतरी अक्षांश के मध्य एवं 76''-09'-12'' पूर्व से 76''-52'-30'' पूर्व रेखांश के मध्य स्थित है। इसके पूर्व में झज्जर तथा सोनीपत, पश्चिम में भिवानी तथा हिसार, उत्तर में जीन्द तथा सोनीपत तथा दक्षिण में झज्जर जिला स्थित है।

2. क्षेत्रफल तथा प्रशासनिक ढांचा

जिला रोहतक का राजस्व रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1668 वर्ग कि० मी० है तथा यह राज्य का 3.77 प्रतिशत है। जिले में रोहतक, महम तथा सांपला 3 तहसीलें हैं। जो कि रोहतक तथा महम उपमण्डल के अन्तर्गत आती हैं। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय रोहतक में है जो कि देहली से 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

3. वर्ष 2008-09 के दौरान ग्राम पंचायत सांपला को बदलकर नगरपालिका सांपला बना दिया गया। जिला रोहतक में 144 गाँव हैं। यह सभी गाँव 5 सामुदायिक विकास खण्डों के अधीन आते हैं। तहसील रोहतक के अन्तर्गत रोहतक, कलानौर तथा लाखनमाजरा का कुछ भाग, महम तहसील में लाखनमाजरा तथा महम और सांपला तहसील में सांपला खण्ड के गाँव आते हैं। जिला रोहतक में अब 4 नगर हैं, 152 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें कुल 1906 पंच तथा 152 सरपंच हैं। जिला रोहतक में 3 मार्किट कमेटीयां हैं, 1 मार्किट कमेटी रोहतक तहसील में तथा 1 मार्किट कमेटी महम तहसील में व एक मार्किट कमेटी सांपला में है। इसके अतिरिक्त 4 सबयार्ड हैं।

4. भौतिक विशेषताएं

जिले में भौतिक दृष्टि से समतल उपजाऊ मैदान तथा रेतीले टीले भी हैं। समुन्द्री तट से जिले की उंचाई 225 मीटर है, उतर से दक्षिण की ढलान की अपेक्षा चढाई शुरु हो जाती है। जिले के उतरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर ढलवां धरातल है।

5. खनिज सम्पदा

जिले में कोई विशेष खनिज पदार्थ उपलब्ध नहीं है फिर भी ईट बनाने वाली मिट्टी तथा शोरे आदि सम्बन्धी सम्पदा से कुछ आय प्राप्त होती है।

6. नदियां

जिला रोहतक में ज्यादा सिंचाई नहरों से ही की जाती है। जवाहर लाल नेहरू केनाल सोनीपत जिले से आकर झज्जर की ओर बहती चली जाती है इसके अतिरिक्त अन्य नहरों का जाल भी बिछा हुआ है।

7. जलवायु तथा वर्षा

जिले की जलवायु अत्यन्त शुष्क है। गर्मियों में गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। मई तथा जून गर्मियों के महीने हैं, जिले में औसत वार्षिक वर्षा वर्ष 2010-2011 में लगभग 136.07 मि० मी० हुई थी। सापेक्ष आर्द्रता गर्मियों में कम सर्दियों में मध्यम तथा वर्षा के दिनों में अधिकतम होती है।

8. मिट्टी

मिट्टी के आधार पर भूमि समतल व उपजाऊ है। परन्तु धरातल सामान्य स्तर से नीचा है। भूमिगत पानी की सतह उपर होने के कारण काफी क्षेत्र में लवणता हो गई है। अधिकतर भू-भाग में भू-जल नमकीन तथा कृषि योग्य नहीं है। वन क्षेत्र में सेम की गम्भीर समस्या बनी हुई है।

9. (क) भू-जल विज्ञान

जिले में सामान्यतः खारा पानी है व सेम तथा लवणीय भूमि की बढ़ती मात्रा विकट समस्या बनती जा रही है। भूमिगत जल की सतह 20 फूट से 60 फूट तक गहरी है। मीठा पानी जिले में केवल 18 प्रतिशत, 30 प्रतिशत में हल्का नमकीन तथा शेष भाग में खारा पानी है।

(ख) भू-जल संसाधन

जिले में सामान्यतः खारा पानी होने के कारण भू-जल संसाधन के विकास की गति धीमी रही।

जनसंख्या

10. जनगणना के आंकड़े

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जिला रोहतक की कुल जनसंख्या 1058683 है जिसमें 566708 पुरुष तथा 491975 स्त्रियां हैं जबकि 2001 की जनगणना के आधार पर जिले की जनसंख्या 940128 थी, जिसमें 509038 पुरुष तथा 431090 स्त्रियां थी। 2001-2011 की अवधि में जिले की जनसंख्या में 12.61 प्रतिशत दशकीय वृद्धि हुई, जबकि हरियाणा राज्य की दशकीय वृद्धि दर 28.43 है। जनसंख्या के आधार पर रोहतक जिले का राज्य में 14 वां तथा देश में 424 वां स्थान है।

तलिका:- जिले की जनसंख्या जनगणना 2011

	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्रियां
ग्रामीण	613864	330788	283076
शहरी	444819	235920	208899
कुल जनसंख्या	1058683	566708	491975

11. घनत्व

जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार जिले का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्र का 3.77 प्रतिशत है जबकि राज्य की कुल जनसंख्या का 4.46 प्रतिशत भाग निवास करता है। जनसंख्या का घनत्व 539 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि राज्य की जनसंख्या का घनत्व केवल 477 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रोहतक शहर का जनसंख्या घनत्व 8531 है जबकि राज्य का 4747 है अर्थात रोहतक शहर का घनत्व राज्य के सभी शहरों से अधिक है।

12. ग्रामीण व शहरी जनसंख्या

जनगणना वर्ष 2011 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार जिला की 64.94 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात 613864 ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जिसमें 330788 पुरुष तथा 283076 स्त्रियां हैं। जिला की शहरी जनसंख्या 373133 है जो कुल जनसंख्या का 35.24 प्रतिशत है जिसमें 197754 पुरुष तथा 175379 स्त्रियां हैं।

जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में तहसील रोहतक की 447352 जनसंख्या में 243287 पुरुष व 204065 स्त्रियां तथा महम तहसील की 163172 जनसंख्या में 88757 पुरुष व 74415 स्त्रियां हैं। शहरी क्षेत्र में रोहतक नगर की 294577 जनसंख्या में 158287 पुरुष व 136290 स्त्रियां हैं, कलानौर की 16853 जनसंख्या में 8945 पुरुष व 7908 स्त्रियां तथा महम की 18174 जनसंख्या में 9762 पुरुष व 8412 स्त्रियां हैं।

तालिका :- जिले की जनसंख्या (वर्ष 2001 जनगणना)

तहसील/ नगर	ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या		
	कुल व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियां	कुल व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियां
रोहतक	447352	243287	204065	294577	158287	136290
कलानौर	—	—	—	16853	8945	7908
महम	163172	88757	74415	18174	9762	8412
कुल जोड़	610524	332044	278480	329604	176994	152610

जिले की ग्रामीण जनसंख्या 2011 में 613864 हो गई है जबकि वर्ष 2001 में 610524 थी। इस तरह ग्रामीण जनसंख्या में 0.55 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई। जिले की शहरी जनसंख्या 2001 में 329604 से बढ़कर 2011 में 373133 हो गई है। अतः शहरी जनसंख्या में 13.20 प्रतिशत दशकीय वृद्धि हुई।

जिले के तीन नगरों में रोहतक नगर की आबादी एक लाख से अधिक होने के कारण श्रेणी-1 तथा कलानौर व महम श्रेणी-4 के नगर हैं।

13. 0.6 आयु वर्ग की जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 125490 है, जो कि कुल जनसंख्या का 11.85 प्रतिशत है, जबकि जनगणना 2001 के अनुसार 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 14.51 प्रतिशत थी।

जिला के ग्रामीण क्षेत्र में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 75709 है जो कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का 12.33 प्रतिशत है तथा शहरी क्षेत्र में यह संख्या 49781 है जो जिले की कुल शहरी जनसंख्या का 11.19 प्रतिशत है।

14. मलिन बस्तियों की जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार जिला के रोहतक नगर की 90645 यानि 30.78 प्रतिशत जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है। इसमें 48442 पुरुष तथा 42203 स्त्रियां हैं। 0-6 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या 12104 है जिसमें 6569 लड़के तथा 5535 लड़कियां हैं।

15. लिंगानुपात

जिला रोहतक में जनगणना 2011 के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर 884 महिलाओं का अनुपात है जो कि 2001 में 847 था इससे स्पष्ट है कि स्त्री पुरुष अनुपात में 2001 की तुलना में 2011 में वृद्धि आई है। हरियाणा राज्य में यह अनुपात 940 है जो सभी राज्यों में सबसे कम स्तर पर पहुँच गया है।

16. 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात

जनगणना 2011 के अनुसार जिला का 0-6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 807 है व ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में यह अनुपात क्रमशः 814 तथा 797 है। ग्रामीण क्षेत्र में दो तहसीलों रोहतक तथा महम में जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः 807 व 804 तथा शहरी क्षेत्र के 3 नगरों रोहतक, कलानौर तथा महम में क्रमशः 781, 786 तथा 771 है। हरियाणा राज्य में 0-6 आयु का लिंग अनुपात 820 है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में यह क्रमशः 824 व 809 है। जिले की रोहतक तहसील का लिंगानुपात 806 है जो कि राज्य में 47 वें स्थान पर है।

17. मलिन बस्तियों में लिंगानुपात

जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार जिला रोहतक के रोहतक नगर की 30.78 प्रतिशत जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है। इन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात 871 है। मलिन बस्तियों की 0.6 आयु वर्ग की जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात 842 है।

18. साक्षरता

जनगणना वर्ष 2001 में जिला रोहतक में 592485 व्यक्ति साक्षर हैं जिसमें 360566 पुरुष तथा 231919 स्त्रियां हैं। जनगणना वर्ष 2001 में जिला में 73.72 प्रतिशत की साक्षरता दर दर्ज की गई। जिला में पुरुष साक्षरता दर 75.14 स्त्री साक्षरता 67.64 की तुलना में अधिक रही जबकि वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार जिला में 63.68 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे। पुरुष साक्षरता दर 76.72 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता दर 48.25 प्रतिशत थी। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 68.59 प्रतिशत है। पुरुष तथा स्त्री साक्षरता दर क्रमशः 79.25 तथा 56.31 है।

19. साक्षरता, ग्रामीण व शहरी

2011 की जनगणना के अनुसार जिला में ग्रामीण क्षेत्र में 80.37 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं जिनमें 88.42 प्रतिशत पुरुष तथा 71.19 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं। शहरी क्षेत्र में 83.56 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं जिनमें 88.83 प्रतिशत पुरुष तथा 77.68 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं जबकि 2001 की जनगणना अनुसार ग्रामीण व शहरी स्तर पर साक्षरता दर क्रमशः 70.28 तथा 83.56 प्रतिशत थी।

तालिका: जिले की साक्षरता दर (वर्ष 2001 जनगणना)

तहसील/शहर	ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरुष	स्त्रियां	कुल	पुरुष	स्त्रियां
रोहतक	71.42	83.07	57.65	82.84	88.54	76.31
महम	67.11	79.46	52.53	77.62	85.97	68.15
कलानौर	—	—	—	76.83	85.88	65.85
कुल	70.28	82.11	56.29	82.26	88.27	75.39

ग्रामीण साक्षरता की दृष्टि में तहसील रोहतक तथा महम में साक्षरता दर क्रमशः 71.42, 67.11 प्रतिशत है। उक्त तहसीलों में पुरुष साक्षरता दर क्रमशः 83.07 व 79.46 तथा स्त्री साक्षरता दर 57.65 तथा 52.53 प्रतिशत है। शहरी साक्षरता दर में जिला के 3 नगरों रोहतक, कलानौर तथा महम में साक्षरता दर क्रमशः 82.84, 77.62 तथा 76.83 है। उक्त नगरों में पुरुष साक्षरता दर क्रमशः 88.54, 85.97 व 85.88 तथा स्त्री साक्षरता दर क्रमशः 76.31, 68.15 तथा 65.85 प्रतिशत है।

20. मलिन बस्तियों में साक्षरता

जनगणना वर्ष 2001 में जिला रोहतक की रोहतक नगरपरिषद की मलिन बस्तियों की कुल जनसंख्या 90645 में 61290 व्यक्ति साक्षर हैं। जिनमें 35336 पुरुष तथा 25954 स्त्रियां साक्षर हैं। इन बस्तियों में साक्षरता दर 78.04 दर्ज की गई। जिसमें पुरुष साक्षरता दर 84.39 तथा स्त्री साक्षरता दर 70.78 है।

वन

21. वनों के अधीन क्षेत्रफल

वन विभाग के अनुसार जिले में वर्ष 2009–2010 में 459.35 हैक्टेयर क्षेत्र वनों के अधीन था जो कुल क्षेत्र का 2.75 प्रतिशत है। जिले में 40 वर्ग कि० मी० संरक्षित राज्य वन क्षेत्र, 4 वर्ग कि० मी० अवर्गीकृत राज्य वन क्षेत्र तथा 2 वर्ग कि० मी० निजी वन क्षेत्र में आता है। वर्ष के दौरान 516.20 हैक्टेयर भूमि पर 11.62 लाख पौधे रोपित किये गये।

कृषि

22. भूमि का प्रयोग

वर्ष 2010–2011 में गाँव प्रपत्र के अनुसार जिला रोहतक का कुल क्षेत्र 166847 हैक्टेयर है। जिसमें से 2.75 प्रतिशत वनों के अधीन, 13.42 प्रतिशत चरागाह गैर कृषि प्रयोजनों इत्यादि में तथा 77.04 प्रतिशत निविल बोये गये क्षेत्र के अधीन रहा।

23. वर्ष 2010–2011 में गैर कृषि योग्य भूमि 149 हजार हैक्टेयर है जबकि निविल बोया गया क्षेत्र 129 हजार हैक्टेयर है जो कृषि योग्य भूमि का 91.26 प्रतिशत है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 101 हजार हैक्टेयर है, जो बोये गये निविल क्षेत्र का 78.83 प्रतिशत है। वर्ष 2010–2011 में जिला रोहतक में कुल बोया गया क्षेत्र 230 हजार हैक्टेयर रहा।

24. तहसील रोहतक, महम व सांपला में निविल बोया गया क्षेत्र क्रमशः 70900, 41400 व 16200 हैक्टेयर है, जो कि कुल बोये गये निविल क्षेत्र का 55.17, 32.21 तथा 12.60 प्रतिशत है।

25. कृषि जोतें

कृषि गणना 2000–2001 के अनुसार जिला रोहतक 62113 जोतों में से 0 से 0.5 हैक्टेयर तक 15569 जोते, 0.5 से 1.0 हैक्टेयर 11071, 1.0 से 2.0 हैक्टेयर तक 12740, 2.0 से 3.0 हैक्टेयर तक 7594, 3.0 से 4.0 है0 तक 4435, 4.0 से 5.0 है0 तक 3060 , 5.0 से 7.5 है0 तक 3866, 7.5 से 10.0 है0 तक 1841, 10.0 से 20.0 है0 तक 1615 तथा 20.0 या इससे अधिक हैक्टेयर की 322 जोते थी।

26 जिला रोहतक की रबी की मुख्य फसलें गेहूँ व जौ तथा खरीफ की मुख्य फसलें धान, ज्वार व बाजरा हैं। वर्ष 2010–2011 में कुल बोये गये क्षेत्र में से 101700 हैक्टेयर यानि 44.26 प्रतिशत गेहूँ के अधीन रहा तथा बाजरा 10.00 प्रतिशत तथा धान 17.10 प्रतिशत बोया गया। इसी प्रकार गन्ने का क्षेत्रफल 6000 हैक्टेयर रहा जो कि कुल बोये गये क्षेत्र का 2.61 प्रतिशत है।

27. मुख्य फसलों का उत्पादन

फसलों के अधिक उत्पादन में प्राकृतिक साधनों जैसे वर्षा, जलवायु तथा भूमि की उपजाउ शक्ति का मुख्य योगदान रहा है। जिले की मुख्य फसलें गेहूँ , धान, ज्वार तथा बाजरा हैं।

28. वर्ष 2010–2011 में गेहूँ का उत्पादन 463 हजार टन, चावल का उत्पादन 59 हजार टन था। गेहूँ की औसत उपज 4552 जौ की 2962 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर रही।

तालिका:— मुख्य फसलों की औसत उपज किलोग्राम प्रति हैक्टेयर

फसल	2006–2007	2007–2008	2008–2009	2009–2010	2010–11
गेहूँ	3958	3510	4349	4058	4552
चावल	1833	2253	1276	1415	1502
गुड़	5190	7055	5472	5954	6708
बाजरा	2110	2276	1734	1567	1408

29. अधिक उपजाऊ किस्में

जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 में गेहूँ तथा धान की अधिक उपजाऊ किस्मों के बीजों के अधीन 168000 हैक्टेयर क्षेत्रफल रहा है। जिसमें 1050 हैक्टेयर गेहूँ के अधीन क्षेत्र रहा जोकि 62.5 प्रतिशत जबकि धान के अधीन 23.21 प्रतिशत तथा 13.69 प्रतिशत बाजरे की बिजाई के लिए अधिक उपजाऊ बीजों का प्रयोग किया गया।

30. रासायनिक खाद का वितरण

जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 के दौरान 30636 टन खादों का उपयोग किया गया। जिसमें 22988 टन नाइट्रोजन, 7199 टन फासफोरस एवं 449 टन पोटैशियम पूरक खाद का उपयोग किया गया।

31. पौधों की सुरक्षा के उपाय

वर्ष 2010–2011 में 484 टन कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया गया जो कि मुख्यतः गेहूँ की फसल अधीन क्षेत्र में किया गया।

32. कृषि यन्त्र तथा उपकरण

जिले में 2003 की गणना अनुसार कृषि यन्त्रों तथा उपकरणों में ट्रैक्टरों की संख्या 10321 है। कम्बाईन हारवेस्टर व थ्रेशरों की संख्या 60328 थी, जिसमें 310 ट्रैक्टर चालित तथा 60018 स्वयं चालित कम्बाईन हारवेस्टर व थ्रेशर थे। इसके अलावा 121 गन्ना पीड़ने वाले कोल्हू तथा 14828 छकड़े थे।

33. कृषि उपज बिक्री संग्रहण

वर्ष 2010–2011 में जिला रोहतक में कृषि उपज की बिक्री के लिए 3 नियमित मार्केट कमेटियां तथा 4 सबयार्ड कार्यरत थे। जिनमें मुख्य आमद गेहूँ धान, सरसों-तारामीरा, सब्जियाँ तथा फलों आदि की फसल रही। इन सभी मण्डियों में 332400 टन कुल कृषि उत्पादन की आमद रही।

34. वर्ष 2010–2011 के दौरान इन सभी मण्डियों में गेहूँ की आमद 196000 टन, धान 16500 टन, सरसों तारामीरा 2500 टन, आलू 15400 टन, बाजरा 18200 टन, कपास 6800 टन, प्याज 5100 टन तथा गुड़ खांडसारी की आमद 900 टन रही।

तालिका:— जिला रोहतक में कृषि उत्पादन की आमद ('00' टन में)

	2006–2007	2007–2008	2008–2009	2009–2010	2010–11
गेहूँ	81	459	1088	2019	1960
धान	181	231	211	264	165
सरसों, तोरिया तथा तारामीरा	209	16	19	23	25
आलू	118	109	136	137	154
अन्य	845	415	294	343	273
जोड़	1434	1230	1748	2786	2577

35. जिला रोहतक में कृषि उपज बेचने के लिए आए किसानों के लिए तीनों विपणन मण्डियों में किसानों के लिए किसान विश्राम गृह है तथा उनमें पीने का पानी, पशुशाला इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

36. जिला रोहतक में वर्ष 2010-2011 में सरकारी गोदामों की क्षमता 72484 टन थी।

37. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

जिला ग्रामीण विकास एजेंन्सी रोहतक ने अपनी स्थापना वर्ष 1974 से ही ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के अभिशाप को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास किये हैं और इस दिशा में इसे न केवल शतप्रतिशत भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने का श्रेय है। बल्कि यह गरीब ग्रामीण परिवारों के आर्थिक स्तर में वास्तविक वृद्धि लाने में सफल रही है। अब इस दिशा में और कारगर रूप से सक्रिय है। एजेंन्सी का यह दृढ संकल्प है कि वह जिला रोहतक के हर गरीब परिवार को इतनी अधिक सहायता प्रदान करवा दें कि वह सदा के लिए गरीबी रेखा को पार कर ले। वर्ष 2008-2009 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 599 गरीब परिवारों को 187.05 लाख रुपये के ऋण और 52.04 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया गया। इन लाभान्वित परिवारों में 447 महिलाएं हैं। "एस0 जी0 आर0 " योजना का स्थान MNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act.) ने ले लिया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान 1451 जोब कार्ड जारी किये व 200453 कार्य दिवस अर्जित हुए।

38. भूमि विकास कार्यक्रम

जिले में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 33 फव्वारा सैटों से 86 हैक्टेयर भूमि सिंचित की गई तथा जिला उधान अधिकारी द्वारा 9 टपका सिंचाई यूनिट लगाकर 23.4 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई, जिससे विशेष तौर पर फल तथा सब्जियों की पैदावार में मदद मिली।

सिंचाई

39. सिंचाई के साधन

वर्ष 2010-2011 में निविल सिंचित क्षेत्र 11400 हैक्टेयर था जो कि बोये गए निविल क्षेत्र का 85.91 प्रतिशत था। स्त्रोतानुसार सिंचाई के क्षेत्र में 82.97 प्रतिशत नहरों तथा 17.03 प्रतिशत नलकूप व अन्य साधनों का योगदान रहा। नहरों द्वारा कुल 91600 है0 तथा नलकूपों द्वारा 18800 है0 भूमि सिंचित की गई।

40. वर्ष 2010-2011 में कुल सिंचित क्षेत्र कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 78.40 प्रतिशत था तथा निविल सिंचित क्षेत्र बोये गए निविल क्षेत्र का 85.91 प्रतिशत रहा।

41. फसल अनुसार सिंचित क्षेत्र

वर्ष 2010-2011 में फसल अनुसार बोया गया निविल क्षेत्र 128500 हैक्टेयर था, जिसमें से 86 प्रतिशत सिंचित किया गया। फसल अनुसार सिंचित क्षेत्र की स्थिति इस प्रकार रही, गेहूँ के अधीन 91.93 प्रतिशत, धान के अधीन 35.59, ज्वार के अधीन 15.48 प्रतिशत, गन्ना के अधीन 5.43% तथा शेष 17.12 प्रतिशत अन्य फसलों के अधीन रहा।

42. **सिंचाई की सघनता**

वर्ष 2010–2011 में जिला रोहतक में बोया गया निविल क्षेत्र 128500 हैक्टेयर तथा निविल सिंचित क्षेत्र 110400 हैक्टेयर है, जिसके अनुसार सिंचाई की सघनता 85.91 प्रतिशत रही।

43. **नलकूप/पम्पिंग सैट**

वर्ष 2010–2011 में कुल नलकूपों तथा पम्पिंग सैटों की संख्या 30873 थी।

44. **बाढ़**

जिला रोहतक में प्रायः पानी की कमी रहती है लेकिन अधिक वर्षा के कारण कभी-कभी कुछ क्षेत्र सेम के अधीन आ जाता है। वर्ष 2010–2011 में यह जिला बाढ़ से मुक्त रहा।

पशुपालन तथा डेरी

45. **पशुधन**

वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार जिला रोहतक में पशुधन की संख्या 398006 तथा कुकुट संख्या 307736 थी। 2007 में कुल पशुधन में से 61031 गाय व बैल, 279045 भैंसे, 24890 भेड़, 10605 बकरियाँ, 367 गधे, 431 खच्चर, 108 उंट, 13032 सुअर तथा 8497 अन्य थे।

46. जिला रोहतक में 2007 की पशुगणना के आधार पर प्रति हजार मनुष्यों के पीछे गाय 65, भैंसे 296, घोड़े और टट्टू 1, गधे 1, भेड़े 11, बकरियाँ 11 तथा कुकुटादि 151 थी।

47. **पशु चिकित्सा सेवाएं**

वर्ष 2010–2011 में जिला रोहतक में पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 64 पशु चिकित्सालय, 47 डिस्पैन्सरियां कार्यरत थे।

48. जिले की सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा वर्ष 2009–2010 में 328000 पशुओं का इलाज किया गया, वर्ष के दौरान 16722 गाय तथा 81410 भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान किया गया। जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 के दौरान 6 विकसित गौशालाएं थी तथा गोशाला संघ से सम्बन्धित गोशालाओं की संख्या भी 6 थी।

49. **डेरी 'दुग्ध उत्पादन'**

दुग्ध उत्पादन कृषकों के लिए अतिरिक्त आय का मुख्य साधन है। वर्ष 2009–2010 में जिला डेरी विकास विभाग द्वारा 1125 मिनी डेरियां स्थापित करवाई गईं तथा 36.40 लाख सबसिडी वितरित की गईं।

50. जिला रोहतक में एक दुग्ध प्लांट लगा हुआ है जो कि रोहतक शहर में गोहाना रोड़ पर 2 कि० मि० की दूरी पर स्थित है। इस प्लांट में दूग्ध एकत्रित करके घी का उत्पादन किया जाता है तथा दूध एवं दुग्ध पदार्थ भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जाता है।

मछली पालन

51. वर्ष 2010–2011 में मछली पालन से 8650105 हजार रू0 की आय हुई। जबकि वर्ष 2010–2011 में 191760 हजार रू0 की आय हुई थी।
52. जिले में वर्ष 2009–2010 में 4872 टन मछली का उत्पादन हुआ तथा 766 हैक्टेयर भूमि का प्रयोग किया गया जबकि वर्ष 2008–2009 में 4643.69 टन मछली का उत्पादन हुआ था।
53. जिले में वर्ष 2010–2011 में बिना लाईसैंस मछली पकड़ने के 30 केस पकड़े गये तथा 450 रू0 मुआवजा वसूल किया गया जबकि वर्ष 2010–2011 में 20 केस पकड़े गये थे तथा 1700 रू0 मुआवजा वसूल किया गया था।

विद्युत

54. **विद्युतिकरण शहरी / ग्रामीण**
जिला रोहतक में स्थित सभी शहर तथा गाँव का विद्युतिकरण हो चुका है।
55. **नलकूप**
वर्ष 2010–2011 में जिला रोहतक में विद्युतिकृत कृषि नलकूपों की संख्या 2430 थी तथा कृषि क्षेत्र में 36.60 लाख किलोवाट बिजली की खपत हुई।
56. **विभिन्न परियोजनाओं में विद्युत का उपयोग**
जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 तक 2547 सर्कट किलोमीटर एल. टी. लाईनें, 2632 सर्कटकिलोमीटर 11 किलोवाट लाईनें तथा 5669 ट्रांसफार्मर थे। जिले में कुल संयोजनों की संख्या 94294 थी। कुल संयोजनों में से 73271 घरेलू, 18707 वाणिज्यिक, 1840 औद्योगिक, 168 कृषि, 126 सार्वजनिक प्रकाश, 83 भारी मात्रा तथा शेष 99 अन्य उपयोग के संयोजन थे।
57. जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 के दौरान 3816.54 लाख किलोवाट बिजली की खपत हुई जिसमें से 1744.16 लाख किलोवाट घरेलू, 686.79 लाख किलोवाट वाणिज्यिकी, 346.49 औद्योगिक, 36.60 कृषि तथा 98.47 लाख किलोवाट अन्य समायोजनों द्वारा खपत की गई।

खनिज पदार्थ तथा उद्योग

58. **खनिज उत्पादन**
जिला रोहतक खनिज उत्पादन में काफी पीछे है। यहां पर किसी प्रकार का खनिज उत्पादन नहीं होता, वर्ष 2010–2011 में केवल ब्रिक अर्थ, साधारण चूना, साल्ट पीटर तथा रेत आदि से थोड़ी सी आय प्राप्त हुई।
59. **लघु उद्योग यूनिट**
वर्ष 2010 तक जिला रोहतक में कुल 298 रजिस्टर्ड फैक्टरियां कार्यरत रही।
60. वर्ष 2010 तक जिला रोहतक में कुल 298 फैक्टरियां रजिस्टर्ड थी, जिसमें 247 फैक्टरियां 2 एम (i), 1 फैक्टरी 2 एम (ii) के अधीन रजिस्टर्ड थी। जिनमें अनुमानित 17747 कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे

61. बड़े तथा मध्यम स्तरीय उद्योग यूनिट
जिला रोहतक में निम्नलिखित बड़े तथा मध्यम स्तर के उद्योग स्थित हैं।
1. लक्ष्मी प्रीसीजन स्क्रुज लिमिटेड
 2. ए0 के0 आटोमैटिक लिमिटेड
 3. मिल्क प्लांट वीटा, रोहतक
 4. सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, रोहतक
 5. सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, महम
 6. भारत रासायन लिमिटेड
 7. हैफेड कैटल फीड प्लांट, रोहतक
 8. रखवाला सोप फैक्टरी लिमिटेड

सड़क तथा परिवहन

62. सड़कों की लम्बाई

रोहतक जिले के सभी गाँव सड़कों से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2009–2010 में जिले में सड़कों की कुल लम्बाई 636 किलोमीटर थी जिसमें सारी 636 किलोमीटर पक्की सड़कें थी।

63. हरियाणा राज्य परिवहन

जिला रोहतक में हरियाणा राज्य परिवहन का एक डिपो है। वर्ष 2010–2011 में 176 बसें जिले के अन्दर व राज्य तथा अन्तरराज्य रूटों पर चलाई जा रही थी, जिन्होंने 185.14 लाख किलोमीटर सफर तय किया तथा जिससे 3431.88 लाख रु० की आय प्राप्त हुई। इन बसों में प्रति दिन औसतन 49865 यात्रियों द्वारा यात्रा की गई।

64. वर्ष 2010–2011 में जिला रोहतक में तीन बस स्टैण्ड रोहतक, महम तथा कलानौर में सेवाएं प्रदान कर रहे थे। रोहतक शहर में नया बस स्टैण्ड सभी मूलभूत सुविधाओं सहित, जो कि शहर के बाहरी हिस्सों में बनाये जाने उपरान्त जनता को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

65. रेलवे सुविधाएं

इस जिले का मुख्यालय देहली-फिरोजपुर रेलवे लाईन पर स्थित है। यह शहर रोहतक, पानीपत, भिवानी तथा जीन्द से भी रेलवे लाईन से जुड़ा हुआ है। जिले की सीमा के अन्दर 12 रेलवे स्टेशन कार्य कर रहे हैं तथा जिले के अन्दर 188 किलोमीटर ब्राड गेज रेलवे लाईनें बिछी हुई हैं।

66. सड़क दुर्घटनाएं

वर्ष 2009–2010 में जिले में कुल 418 दुर्घटनाएं घटीं जिसमें 620 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुईं तथा इन दुर्घटनाओं में 312 व्यक्ति मारे गए तथा 442 व्यक्ति घायल हुए।

संचार

67. डाक घर व तार घर

वर्ष 2010–2011 में जिले में 117 डाक घर कार्य कर रहे थे। इन डाक घरों में डाक की सुविधा के अतिरिक्त पैसे जमा करने का कारोबार भी किया जाता है।

68. दूरभाष केन्द्र

31–3–2011 को जिला रोहतक में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 55 दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे थे तथा सार्वजनिक टेलिफोन केन्द्रों की संख्या 147 थी।

श्रम तथा रोजगार

69. औद्योगिक झगड़े

वर्ष 2009–2010 के दौरान जिला रोहतक की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में 87 झगड़े दर्ज किये गए जबकि वर्ष के दौरान हड़तालों तथा तालाबन्दी की संख्या 0 रही।

70. रोजगार केन्द्र

जिला रोहतक के रोजगार केन्द्रों में 31–3–2010 को 46287 बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। वर्ष के दौरान 256 व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

71. जिला रोहतक में 3 रोजगार कार्यालय एवं एक व्यवसायिक मार्ग दर्शन हेतु सूचना केन्द्र हैं। इन रोजगार कार्यालयों में वर्ष 2009–2010 में 679 व्यक्ति रोजगार हेतु पंजीकृत किये गए।

72. जिला रोहतक में 31–12–2011 तक के दौरान 7702 दुकानों में 500 कर्मचारी, 2232 वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में 6465 कर्मचारी, 66 होटल तथा जलपान गृहों में 360 कर्मचारी कार्यरत रहे।

73. मजदूरी की औसत दैनिक आय

वर्ष 2011 के दौरान जिला रोहतक में कुशल कार्यकर्ताओं जैसे बढ़ई और लुहार की दैनिक मजदूरी की दर 300 रु० थी। कृषि श्रमिकों में हल चलाने, कटाई आदि की दर कम से कम 350 रु० थी। कृषि सम्बन्धी अन्य फुटकर कार्य करने वाले की मजदूरी दर औसत 300 रु० थी।

सहकारिता

74. सहकारिता वर्ष 2010–2011 में जिला रोहतक में 651 सहकारी समितियां कार्यरत थी तथा उनके सदस्यों की संख्या 187122 थी।

75. वर्ष के दौरान इन सहकारी समितियों में 70.85 लाख रुपये हिस्सा पूंजी, 260.39 लाख रुपये निजि पूंजी थी, जबकि कार्य पूंजी 609.02 लाख रही। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत कार्य पूंजी 32546 रुपये थी।

76. जिला रोहतक में 61 समितियां प्रति लाख व्यक्तियों पर कार्यरत थी, जबकि प्रति हजार जनसंख्या पर सब प्रकार की समितियों के सदस्यों की संख्या 177 थी।

77. सभी 649 सहकारी समितियां एवं बैंकों में से एक केन्द्रीय सहकारी बैंक, खेती समिति -1, 22 कृषि ऋण, 58 गैर कृषि ऋण, 1 प्राथमिक भूमि विकास बैंक, 3 विपणन, 17 बुनकर समितियां, 6 उपभोक्ता समितियां, 23 आवास समितियां तथा 526 अन्य समितियां कार्य कर रही थी।

78. वर्ष 2009–2010 में रोहतक में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक था, जिसकी 24 शाखाएं कार्यरत थी। इनमें 627 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी, 35327 लाख रुपये कार्य पूंजी थी। वर्ष के दौरान इस बैंक द्वारा 16401 लाख रुपये ऋण दिया गया तथा साल के अन्त में 20129 लाख रुपये का ऋण बकाया था।

79. वर्ष 2009–10 में जिले में 3 प्राथमिक भूमि विकास बैंक थे, जिनमें हिस्सा पूंजी 210.84 लाख रुपये, निजि पूंजी 214.72 लाख रुपये तथा कार्य पूंजी 4478.47 लाख रुपये थी। वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा 575.56 लाख रुपये का कर्जा भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया गया।

तालिका :- जिला रोहतक में केन्द्रीय सहकारी बैंक

	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2007–08	2008–09
शाखाओं की संख्या	14	14	14	22	24
हिस्सा पूंजी (लाखरुपये)	500.00	456.00	552.00	592.03	627
कार्य पूंजी (लाखरुपये)	10075.75	21722.00	25861.00	33995.42	35327
सदस्य संख्या	482	500	600	406	406
वर्ष के दौरान दियागयाकर्ज (लाखरुपये)	17241.00	22247.00	31460.00	27452.51	16401
वर्ष के अन्त में बकाया कर्ज (लाख रुपये)	15489.00	15737.00	17970.00	23037.73	20129

बैंक

80. जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 में 31 बैंकों की 163 बैंक शाखाएं कार्यरत थी जिनमें से 65 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 85 शहरी क्षेत्र में एवं 13 अर्ध शहरी क्षेत्र में थी।

81. 31 मार्च 2009 को 4009.00 करोड़ रुपये जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं में जमा थे। 2217.00 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये गये इस प्रकार ऋण तथा जमा में अनुपात 55.30 प्रतिशत रहा।

82. बैंकों द्वारा सबसे अधिक ऋण कृषि तथा स्वयंरोजगार सम्बन्धी स्कीमों के लिए दिये गये। 31 मार्च, 2009 को ऋण जमा अनुपात 50.70 प्रतिशत रहा।

शिक्षा

83. विद्यालय तथा महाविद्यालय

जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 के दौरान 81 प्राथमिक, 100 माध्यमिक तथा 324 उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक मान्यता प्राप्त विद्यालय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान कर रहे थे। इन प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में क्रमशः 2312, 2270 एवं 2342 अध्यापक कार्यरत थे। इस प्रकार जिला के इन विद्यालयों में कुल 6924 अध्यापक कार्यरत थे।

84. वर्ष 2010–2011 के दौरान 198165 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जिनमें से 94343 विद्यार्थी प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में, 63608 माध्यमिक विद्यालयों में तथा शेष 40214 विद्यार्थी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

85. वर्ष 2010–2011 में जिला रोहतक में अनुसूचित जाति के कुल 40966 विद्यार्थियों ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की, जो कुल विद्यार्थियों का 20.67 प्रतिशत है। इनमें 21927 विद्यार्थी प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में, 11264 माध्यमिक विद्यालयों में तथा शेष 7775 विद्यार्थी उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

तालिका :- मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2010–2011
कुल विद्यार्थी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी

	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं
प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक	94343	49601	44742	21927	11001	10926
माध्यमिक	63608	33932	29676	11264	5550	5714
उच्च/वरिष्ठ	40214	19967	20247	7775	4288	3487
जोड़	198165	103500	94665	40966	20839	20127

86. जिला रोहतक में प्रति अध्यापक विद्यार्थियों का अनुपात लगभग 41 प्राथमिक, 28 माध्यमिक तथा 17 उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का था।

87. जिला रोहतक में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत 6 ब्लाकों, रोहतक शहरी, रोहतक ग्रामीण, कलानौर, सांपला, महम तथा लाखनमाजरा में 991 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत थे।

88. जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 में 77 कला एवं विज्ञान महाविद्यालयों में 38498 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जिसमें 3923 विद्यार्थी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित थे।

89. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

व्यवसायिक शिक्षा के लिए जिला में तीन पोलीटेक्निक, दो आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं तीन जे० बी० टी० ट्रेनिंग सैन्टर ,4 अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं एक मा० आफ़ एजूकेशन सैन्टर कार्यरत थे।

90. जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 में 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी कार्य कर रहे थे जिनमें क्रमशः 2719 एवं 470 विद्यार्थी प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। इनमें से 475 व 119 विद्यार्थी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित थे।

91. इन्जिनियरिंग कालेज

जिला रोहतक में वर्ष 2007–2008 में इन्जिनियरिंग क्षेत्र में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता 1080 सीट की थी जिसमें यांत्रिक 240, विद्युत 60 इलैक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूनिवेशन में 300 के अतिरिक्त 300 कम्प्यूटर इंजिनियरिंग तथा 180 अन्य कोर्सों की प्रवेश क्षमता थी।

92. विश्वविद्यालय

वर्ष 1976 में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में होने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, गुड़गाँव तथा फरीदाबाद जिले के सभी महाविद्यालय सम्बन्ध कर दिये गये। वर्ष 2010–2011 में रोहतक जिले में महाविद्यालयों की संख्या 77 थी।

93. चिकित्सा से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने के लिए रोहतक शहर में पंडित भगवत दयाल शर्मा पी० जी० आई० एम० एस० कार्यरत है। वर्ष 2009–2010 में 1668 लडके तथा लडकियाँ चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य

94. स्वास्थ्य सेवाएं

वर्ष 2010–2011 में जिला रोहतक में लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने के लिए 160 एलोपैथिक संस्थाएं कार्यरत थी, जिनमें 142 ग्रामीण तथा 18 शहरी क्षेत्रों में कार्यरत थी। इनमें 8 अस्पताल, 21 पी० एच० सी०, 12 डिस्पेंसरियां, 6 सी० एच० सी०, 113 उपकेन्द्र हैं।

95. वर्ष 2010-2011 में जिला रोहतक में 38 आयुर्वेदिक तथा 1 यूनानी चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत थी जिनमें 371570 रोगियों का इलाज किया गया।

96. वर्ष 2010-2011 में ऐलोपैथी संस्थाओं द्वारा 1934570 रोगियों का इलाज किया गया जिनमें 117674 अंतरंग तथा 1816896 बाह्य रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। इन सरकारी संस्थाओं में कुल 1688 बिस्तर उपलब्ध थे। प्रत्येक एक लाख आबादी के लिए 156 रोगी बिस्तर उपलब्ध थे तथा 11 वर्ग किलोमीटर में एक संस्था कार्यरत थी।

97. वर्ष 2011 में जिला रोहतक में कुल जन्मों की संख्या 26971 थी जिसमें 14953 पुरुष तथा 12018 स्त्रियां थी। वर्ष के दौरान जन्में व्यक्तियों में 5146 ग्रामीण तथा 21825 शहरी क्षेत्र में थे। जन्म के समय लिंग अनुपात यानि प्रति 100 स्त्रियों के पीछे पुरुषों की संख्या 124 थी।

98. वर्ष 2011 में जिले में विभिन्न कारणों से कुल 12088 मौतें हुईं, जिसकी संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 3500 तथा शहरी क्षेत्र में 8588 थी।

99. परिवार कल्याण कार्यक्रम

वर्ष 2010-2011 में जिला रोहतक में 7 परिवार कल्याण केन्द्र कार्यरत थे जिनमें 4 देहाती तथा 3 शहरी क्षेत्र में थे। वर्ष के दौरान 3884 नसबन्दी आप्रेशन किये गए। इस क्षेत्र में महिलाओं ने सराहनीय कार्य किया यानि 3714 नलबन्दी आप्रेशन करवाए तथा पुरुषों द्वारा केवल 170 नसबन्दी आप्रेशन करवाए गये।

100. सुरक्षित पेयजल परियोजना

जिला रोहतक में सुरक्षित पेयजल परियोजना के अधीन जिले के सभी 146 गाँवों को 31-3-1992 से पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। 31-12-2004 के सर्वेक्षण के अनुसार 40 एल0 पी0 सी0 डी0 से कम वितरण वाले गाँवों की संख्या 22 में से वर्ष 2007-2008 तक 22 गाँवों में 40 एल0 पी0 सी0 डी0 तक बढ़ोतरी की जा चुकी है।

कल्याण विभाग 'अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग'

101. जिला रोहतक में वर्ष 2010-2011 में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम जैसे कन्यादान स्कीम, मकान अनुदान, अत्याचार निवारण स्कीम, विद्यार्थी ऋण, विधवाओं की लड़कियों की शादी हेतु, सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कीमों आदि के तहत सहायता की गई।

102. वर्ष 2009-2010 में जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पास 50 गज का प्लॉट तथा कच्चा मकान था उन्हें 50000 रु० मकान बनाने के लिए दिये गये। वर्ष के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 91 परिवारों को 4550000 रु० की राशि मकान अनुदान के रूप में आबंटित की गई।

103. अत्याचार निवारण स्कीम के तहत वर्ष 2009-2010 में 1 परिवारों को 25000 रु० की राशि आबंटित की गई, इसके साथ सिलाई प्रशिक्षण स्कीम के तहत 170 लाभार्थियों को 404600 रु० की राशि वितरित की गई।

104. जिला रोहतक में वर्ष 2009–2010 के दौरान हरिजन पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 2 पंचायतों को 100000 रु० की राशि दी गई।

105. जिला में वर्ष 2009–2010 में इन्द्रा गॉधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत 856 लडकियों की शादियों पर 10159864 की राशि खर्च की गई।

106. जिला में वर्ष 2009–2010 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 209 छात्रों को 78.24 लाख रु० तथा पिछड़े वर्ग के 702 छात्रों को 11.2 लाख रु० की राशि वितरित की गई।

107. इन्दिरा गॉधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना जो कि हरियाणा में 14–5–2005 से आरम्भ की गई है, अनुसूचित जाति की लडकियों की शादी पर 15000 रु० और सामान्य जाति की लडकियों की शादी पर 5100 रु० की राशि की सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। दिनांक 1–8–2006 से विधवाओं की लडकियों की शादी पर 15000 रु० की सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। दोनों स्कीमों के अन्तर्गत लडकी की उम्र 18 वर्ष व परिवार का बी० पी० एल० होना आवश्यक है।

विविध

108. नगरपालिकाएं

वर्ष 2009–2010 में जिले में एक नगर परिषद तथा तीन नगरपालिकाएं कार्य कर रही थी। वर्ष में चारों संस्थानों की कुल आय 2177.56 लाख रु० तथा व्यय 2079.71 लाख रु० था।

राजस्व

109. जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 में राज्य सरकार को विभिन्न स्रोतों से जो आय हुई उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है।

मद	प्राप्त कर (000 रूपये)
1. हरियाणा मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003	2462.34
2. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956	1216.74
3. मनोरंजन कर	.52

110. रजिस्ट्रीकरण

जिला रोहतक में वर्ष 2010–2011 में रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या 4 थी। जिनमें 24972 अनिवार्य अचल सम्पत्तियों की रजिस्ट्री हुई। इस अन्तर्गत सम्पत्ति का समस्त मूल्य 8853180 हजार रूपये था इससे सरकार को 42240 हजार रूपये की आय प्राप्त हुई।

111. पुलिस तथा अपराध

वर्ष 2010–2011 में जिला रोहतक में 9 पुलिस स्टेशन तथा 17 पुलिस चौकियां कार्यरत थी। जिले में वर्ष 2011 के दौरान 4631 अपराध दर्ज किये गये, जिनमें से 77 हत्या, 11 डकैती, 340 सेंधमारी, 833 चोरी, 26 पशु चोरी 53 लूट, 100 दंगे एवं अवैध हत्याएं तथा 3143 केस अन्य अपराधों से सम्बन्धित थे, जबकि वर्ष 2010 में कुल 4485 अपराध दर्ज हुए थे।

112. हरियाणा सरकार के कर्मचारी

31 मार्च 2010 को जिला रोहतक में हरियाणा सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में 17818 कर्मचारी कार्यरत थे। जो हरियाणा सरकार के अधीन कुल कर्मचारियों का 5.47 प्रतिशत था, जिनमें 5603 महिलाएं तथा 12215 पुरुष थे। जिले में 3228 अनुसूचित जाति के तथा 1978 पिछड़े वर्ग के कर्मचारी थे।

तालिका:— जिला रोहतक में हरियाणा सरकार के कर्मचारी (31-3-2010)

श्रेणी	कुल		अनुसूचित जाति		पिछड़ा वर्ग	
	पुरुष	स्त्रियां	पुरुष	स्त्रियां	पुरुष	स्त्रियां
वर्ग-1	298	54	22	12	12	6
वर्ग-2	801	557	65	58	62	31
वर्ग-3	7253	2165	933	352	743	243
वर्ग-4	3042	903	1022	342	337	109
फुटकर /अन्य	608	1777	32	377	11	347
कुल	12215	5603	2177	1151	1292	686

113. मनोरंजन

जिला रोहतक में मनोरंजन के लिए शहर में रोहतक दिल्ली रोड़ पर चौधरी देवी लाल पार्क का निर्माण किया गया है। शहर के मध्य मानसरोवर पार्क का सुधार करके बच्चों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त रोहतक देहली रोड़ पर 2 किलोमीटर की दूरी पर तिलयार झील स्थित है तथा शहर के मध्य मैना रैस्टोरैन्ट पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।

114. टेलीविजन सैट

जिला रोहतक में 31 मार्च, 2007 तक सामुदायिक टेलीविजन लगाने की परियोजना के अन्तर्गत 11 टेलीविजन सैट लगाए गए हैं।

115. बचत

वर्ष 2007–2008 में जिला रोहतक में –20079000 रुपये के किसान विकास पत्र, –36889000 रुपये की मासिक आय योजना, –17847000 रुपये 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में जमा किये गये। इसके अतिरिक्त सभी बचत खातों में वर्ष 2008–2009 के दौरान –56727000 रुपये की राशि जमा की गई।

116. **विकेन्द्रीकरण योजना**

जिला रोहतक में वर्ष 2008-2009 में विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत 406.77 लाख रुपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए जारी की गई है।

117. **खेलकूद**

खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रोहतक नगर के पूर्वी भाग में सैक्टर 6 में अन्तराष्ट्रीय स्तर का खेल कूद स्टेडियम निर्माणाधीन है। रोहतक सोनीपत मार्ग पर एक विशाल सर छोटूराम स्टेडियम का निर्माण किया गया है। जिसमें हर प्रकार के खेलों के मैदान आदि की सुविधाएं हैं।

118. **आवास गृहों का निर्माण**

हरियाणा आवास मण्डल द्वारा जिला रोहतक में वर्ष 2009-2010 में नये आवास गृह नहीं बनाए गए हैं। हरियाणा आवास मण्डल द्वारा जिला रोहतक में वर्ष 2007-2008 तक 3640 आवास गृहों का निर्माण किया गया, जिसमें 968 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, 1591 निम्न वर्ग के लिए, 860 मध्य वर्ग के लिए तथा 142 उच्च वर्ग के लिए तथा 79 अन्य के लिए बनाये गये।

119. **वृद्धावस्था एवं अन्य पेंशन स्कीम**

वर्ष 2010-2011 में जिला रोहतक में ताउ देवी लाल वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत 67701 वृद्धों को कुल 4657.28 लाख रू०, विधवा पेंशन स्कीम के अन्तर्गत 22196 विधवाओं को 1939.49 लाख रू० तथा 6459 विकलांग व्यक्तियों को 442.03 लाख रू० की राशि पेंशन के रूप में वितरित की गई।

120. **चुनाव एवं मतदाता**

वर्ष 2010-2011 में जिला रोहतक में 4 विधान सभा क्षेत्र रोहतक, गढ़ी सांपला किलोई, कलानौर तथा महम में मतदाताओं की कुल संख्या 604892 है। यह चारों विधान सभा क्षेत्र रोहतक लोक सभा क्षेत्र में हैं।

परिशिष्ट-3

जिला एक दृष्टि में

चुने हुए मद-

1. जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि० मी० 2001	539
2. कुल जनसंख्या पर ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता 2001	64.94
3. कुल जनसंख्या पर शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता	35.06
4. कुल जनसंख्या पर 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 2001	14.33
5. कुल जनसंख्या में लिंगानुपात 2001	847
6. ग्रामीण जनसंख्या में लिंगानुपात 2001	839
7. शहरी जनसंख्या में लिंगानुपात 2001	862
8. 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या में लिंगानुपात 2001	796
9. साक्षरता 2001	
पुरुष	83.23
स्त्रियां	62.59
कुल	73.72
10. मुख्य कार्य करने वालों की कुल जनसंख्या पर प्रतिशतता 2001	39.47
11. एक बार से अधिक बोये गए क्षेत्र की कुल निविल बोये गए क्षेत्र से प्रतिशतता 2009-2010	44.08
12. निविल सिंचित क्षेत्र की निविल बोए गए क्षेत्र से प्रतिशतता 2009-2010	86.66
13. कुल बोये गए क्षेत्र से खाद्यान फसलों के अधीन बोये गए क्षेत्र की प्रतिशतता	58.72
14. गाँव के विद्युतिकरण की प्रतिशतता	100
15. स्कूल जाने वाले प्रति 1000 बच्चों पर स्कूलों की संख्या 2008-09	
प्राथमिक	1
माध्यमिक	2
उच्चतर	4
16. प्रति लाख जनसंख्या के पीछे रोगी बिस्तरों की संख्या	156
17. प्रति पाँच लाख जनसंख्या के पीछे अस्पतालों की संख्या	3
18. प्रति बैंक के पीछे व्यक्तियों की संख्या	6813
19. प्रति 100 वर्ग कि० मी० क्षेत्र पर पक्की सतही सड़को की लम्बाई कि० मी०	54.03
20. प्रति लाख जनसंख्या के पीछे डाक घरों की संख्या	12
21. प्रति लाख जनसंख्या पर परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या	1